राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी के सामने लिंक रोड न 03 भोपाल म.प्र.

क्रमांक /एन.एच.एच.एम/ एन.टी.सी.पी./2025/17 भोपाल दिनांक 02/04/2025

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश मे तम्बाकू मुक्त शासकीय भवन/पंचायत भवन/तम्बाकू मुक्त ग्राम बनाये जाने के सम्बंध मे ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त सरकारी भवन को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने हेतु, प्रयास किये जा रहा है। तम्बाकू का बढता उपयोग विश्व भर में मानव जीवन की मौतों और बीमारियों का प्रमुख कारण बन गया है, जिससे मानव जीवन की औसत आयु कम हो गई है, समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती हैं,और विश्व स्तर पर, तम्बाकू प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख मानव जीवन की मृत्यु का कारण बनती है। भारत में, अनुमानतः तम्बाकू का उपयोग करने वाले 26.7 करोड़ वयस्क हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 13.5 लाख तम्बाकू-संबंधित मौतें होती हैं। तम्बाकू शरीर के लगभग प्रत्येक अंग को हानि पहुंचाता है बीमारी जैसे **कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों, मधुमेह, दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारी, स्ट्रोक, बांझपन, अंधापन, तपेदिक और मुख** संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक प्रमुख कारक है।

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (2016-2017) के अनुसार, भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 28.6% (लगभग 27 करोड़) वयस्क तम्बाकू का उपयोग करते हैं, जिनमें से **32.6% शहरी क्षेत्रों में और 47.6% ग्रामीण क्षेत्रों** में हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) ने बताया कि भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% विद्यार्थी तम्बाकू का उपयोग करते हैं, (जिनमें से 5.2% शहरी क्षेत्रों में और 9.4% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं) लगभग 55 हजार बच्चे हर वर्ष नियमित रूप से तम्बाकू सेवन करने वालों की सूची में जुड रहे है। धुम्रपान करने वाले में से 80% व्यक्ति पहली बार सिगरेट 8 से 13 बर्ष की आयु में पीना प्रारम्भ करते है।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त गाँव बनाया जाना हेतु, दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रथम स्तर पर के रूप में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत भवनों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाना है। तम्बाकू मुक्त गॉव के संबंध में मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय एवं ग्राम पंचायत भवनों को तम्बाकू मुक्त भवन बनाये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - भारत सरकार की तम्बाकू मुक्त गांव कि मार्गदर्शिका

(छोटे सिंह)
संचालक सह- आयुक्त

(डॉ. सलोनी सिडाना)
मिशन संचालक

प्रतिलिपि-सूचनार्थ-

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2025/18 भोपाल दिनांक 03/04/2025

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पंचायत विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन महिला बाल विकास विभाग।
4. संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
5. सयुक्त संचालक, आर.के.एस.के एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. उपसंचालक, एच.डब्लू.सी एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
7. उपसंचालक, आशा एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।

संचालक सह- आयुक्त
पंचायत राज, म.प्र।

मिशन संचालक,
एन.एच.एम. म.प्र।

तम्बाकू मुक्त गांव कि मार्गदर्शिका

तम्बाकू के हानिकारक प्रभाव-

तम्बाकू कई बीमारियों के लिए एक बड़ा जोखिम कारक है, जिसमें हृदय संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर (फेफड़े, मुंह, गले, ग्रासनली) और अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ शामिल हैं। भारत में सभी कैंसरों में तम्बाकू से संबंधित कैंसर 33.3% (1/3) हैं। पुरुषों में 48.7% कैंसर और महिलाओं में 16.5% कैंसर तम्बाकू के कारण होते हैं। तम्बाकू से संबंधित बीमारियाँ भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ डालती हैं। लागत में न केवल चिकित्सा उपचार शामिल है, बल्कि बीमारी और असमय मृत्यु के कारण उत्पादकता में कमी भी शामिल है। सेकेंड हैंड धूम्रपान के संपर्क में आने से धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले दोनों ही प्रभावित होते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएँ और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रयास-

भारत तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों में वैश्विक नेता है और पिछले दो दशकों में तम्बाकू के प्रचलन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सी.ओ.टी.पी.ए.) 2003 में लागू किया गया था, और भारत ने 2004 में तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन (डब्ल्यूएचओ-एफ.सी.टी.सी.) की पुष्टि की थी। 2007-08 में शुरू किया गया राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.) सामुदायिक जुड़ाव, स्कूल कार्यक्रमों, सूचना, शिक्षा, संचार (आ.ई.ई.सी.) और वकालत पर ध्यान केंद्रित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कानूनों और पहलों को लागू करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। " तम्बाकू मुक्त स्कूलों/ शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देश" 2008 में जारी किए गए और 2019 में संशोधित किए गए। नई पहलों में निषेध शामिल है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम 2019 को पारित करना, तथा मई 2023 में टीवी और फिल्म नियम, 2012 को ओटीटी प्लेटफार्मों तक विस्तारित करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी बाहरी और ग्रामीण समुदायों में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मई से जुलाई 2023 तक तंबाकू मुक्त युवा अभियान (टी.एफ.वाई.सी.) का पहला संस्करण शुरू किया।

सरकारी भवनो को तंबाकू मुक्त बनाने की जरूरत-

लगभग 27 करोड़ से ज़्यादा भारतीय तम्बाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तम्बाकू मुक्त पीढ़ी की दिशा में काम करने की तत्काल ज़रूरत है।

- इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकारी भवनो को तम्बाकू मुक्त बनाने की अवधारणा एक अहम पहल होगी। ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में तम्बाकू सेवन का उच्च प्रचलन (48%, GATS 2) सरकारी भवनो पर लक्षित की ज़रूरत है।
- सरकारी भवन प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने की रीढ़ हैं, जो प्रदेश। को टिकाऊ भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
- यह पहल पंचायती राज मंत्रालय 1 के प्रयासों के अनुरूप है, जो बहु-क्षेत्रीय सहभागिता के माध्यम से जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकृत करने के लिए है।
- तंबाकू मुक्त शासकीय भवनो के लिये यह दिशानिर्देश पूरे प्रदेश में एक रूपता की भावना लाने का प्रयास करगे इसलिए, इन राज्य दिशानिर्देशों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी जारी किये गये है।

<u>प्रदेश के सभी सरकारी भवन होंगे तम्बाकू मुक्त-</u>

प्रदेश के सभी सरकारी भवनो को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने है जो निम्नलिखित है-

- प्रदेश के सभी गांव के सरपंच/प्रधान की अध्यक्षता में शासकीय ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त भवन बनाये जाना है ।
- तंबाकू नियंत्रण पहलों से समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने और तंबाकू नियंत्रण के लिए एक सहायक/सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में काम करेगे।
- शासकीय भवनो मे सभा की बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण के एजेंडे को शामिल करें (अक्सर) ताकि गांव के प्रमुख हितधारकों, अर्थात ग्राम पंचायत के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, आम समुदाय आदि को जागरूक किया जा सके।
- शासकीय भवन ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त भवन का संकल्प (ग्राम पंचायत के प्रमुख प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी शासकीय भवनो के लिए) अपनाना है।
- ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव के अन्दर सभी शासकीय भवन तम्बाकू मुक्त होने चाहिए।
- ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य कर्मियों, अर्थात् **<u>सीएचओ, एएनएम, आशा,आगनवाड़ी कार्यकता एवं सहायिका</u>** आदि के साथ समन्वय करके गॉव के अन्दर सभी शासकीय भवन तम्बाकू मुक्त भवन बनाये जाने है जैसे कि – **ऑगनवाडी केन्द्र भवन, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं अन्य आदि भवनो** को तम्बाकू मुक्त बनाये जाना सुनिश्चत करे।

तंबाकू मुक्त शासकीय भवन बनाये जाने हेतु क्रिर्यान्वयन की देखरेख के लिए जिले मे जिला नोडल अधिकारी- एन.टी.सी.पी. है, जो ब्लॉक मे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे पीएचसी चिकित्सा अधिकारी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सीएचओ एवं (ए.एन.एम.) के सहयोग से राज्य नोडल अधिकारी- एन.टी.सी.पी. के मार्गदर्शन में काम करेगे ।

अत: **जिला नोडल अधिकारी-एन.टी.सी.पी. को पंचायती राज विभाग के सहयोग से** इन दिशानिर्देशों को पालन किये जाने के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और गांव के **सरपंच/मुखिया की नियमित ऑनलाइन/ऑफलाइन** बैठकें आयोजित करनी होंगी।